# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 06.02.2021 द्वारा श्रीमती उषा शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि पहाड़गंज, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि प्रेमपुरा, कुचामन जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती उषा शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1305/2021 उषा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1305/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती उषा शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 30 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.02.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर जिले में राउमावि हीरापुरा, जयपुर/सीमेट गोनेर अथवा अति.जिशिअ (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों में पति–पत्नी/ माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सेवा के किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। उन्हें सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती उषा शर्मा द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.02.2021 का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया था एवं उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है अतः अपीलार्थी श्रीमती उषा शर्मा को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि प्रेमपुरा, कुचामन जिला नागौर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/उषा शर्मा/1305/2021/241 दिनांकः 23.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. प्रधानाचार्य राउमावि पहाड़गंज जिला जयपुर।
11. श्रीमती उषा शर्मा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि प्रेमपुरा, कुचामन जिला नागौर को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)